भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2811

जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

ठेकेदारों द्वारा नियोजित श्रमिक

2811. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
डॉ. पोन गौतम सिगामणि:
श्री गजानन कीर्तिकर:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्री सी.एन.अन्नादुरई:
श्री धनुष एम.कुमार:
श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री जी.सेल्वम:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की प्रत्येक सहायक कोयला खदान में ठेकेदारों द्वारा नियोजित श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या ठेकेदार और प्रबंधन के बीच ऐसे श्रमिकों की कार्य दशाएं और मजदूरी के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए है;

(ग) यदि हां, तो ठेकेदारों द्वारा नियुक्त विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों को भुगतान के लिए कुल कितना पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या श्रमिकों को अनुबंध के अनुसार भुगतान किया जा रहा है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इस संबंध में प्रबंधन द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क): कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियां सीधे तौर पर ठेका कामगारों को रोजगार नहीं देती हैं। तथापि, कुछ कार्य एजेंसियों/ठेकेदारों के माध्यम से आउटसोर्स किए जाते हैं और वे एजेंसियां उक्त कार्य के लिए अपने कामगारों को नियुक्त करती हैं।

सीआईएल की प्रत्येक सहायक कंपनी में ठेकेदारों द्वारा नियोजित कामगारों की कुल संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	**कंपनी**	**सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में वर्तमान में कार्यरत ठेकेदारों के कामगारों की संख्या (01.07.2022 की स्थिति)**
1	ईसीएल	7,045
2	बीसीसीएल	6,110
3	सीसीएल	6,461
4	डब्ल्यूसीएल	11,107
5	एसईसीएल	14,912
6	एमसीएल	21,590
7	एनसीएल	20,265
8	सीएमपीडीआईएल	908
9	एनईसी	369
10	सीआईएल (मुख्यालय)	312
कुल		**89,079**

(ख) और (ग): लागू अधिनियमों के सांविधिक प्रावधानों के सभी उपबंधों सहित एनआईटी (निविदा आमंत्रण नोटिस) के अनुसार अनुबंध प्रदान किया जाता है। ठेकेदार को संबंधित अधिनियमों/नियमों के अनुसार सांविधिक प्रावधानों का पालन करना होता है। अनुबंध समझौते को छोड़कर, ठेकेदार और प्रबंधन के बीच किसी अन्य समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया जाता है।

खनन अनुबंधों के लिए हस्ताक्षरित अनुबंधों में अनुबंध प्रबंधन नियमावली **(अनुबंध-क** के रूप में संलग्न) के सामान्य नियमों और शर्तों के खंड 12 (xi) में दिए गए श्रम रोजगार, मजदूरी के भुगतान और भविष्य निधि कटौती से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। वर्तमान में, एचपीसी मजदूरी क्रमशः अत्यधिक कुशल से अकुशल श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से 42% से 122% तक अधिक है। दिनांक 01.04.2022 से लागू मजदूरी की न्यूनतम दर की प्रति संलग्न है **(अनुबंध-ख)।**

(घ) और (ड.): ठेकेदारों को अनुबंध/लागू कानूनों के अनुसार मजदूरी का भुगतान करना होता है। सभी भुगतान बैंक हस्तांतरण के माध्यम से किए जाते हैं। अनुबंध/लागू कानूनों के अनुसार ठेकेदारों के श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन प्रधान नियोक्ता के रूप में हर संभव कदम उठाता है।

*****

कोल इंडिया लिमिटेड-ठेका प्रबंधन नियमावली-2022

अध्याय6- ओवरबर्डन हटाने और कोयला निष्कर्षण के लिए उपकरण को किराये पर लेना

धारा- 6(ठेके की शर्तें, सामान्य निबंधन एवं शर्तें)

खंड 12. श्रम रोजगार, मजदूरी भुगतान और भविष्य निधि कटौती से संबंधित प्रावधान:

कार्य का निष्पादन ठेकेदार के केवल नियमित कर्मचारियों के माध्यम से ही मशीनों/उपकरणों को तैनात करके किया जायेगा। ठेकेदार सीएल (आर एंड ए) अधिनियम के तहत वैधानिक आवश्यकताओं का भी पालन करेगा और श्रम लाइसेंस भी प्राप्त करेगा।

ठेकेदार संगत कानून द्वारा यथा आवश्यक 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति अथवा रात्रि के दौरान महिलाओं को नियुक्त नहीं करेगा।

ठेकेदार/ठेकेदार विभिन्न श्रेणियों के अपने कर्मचारियों के मामले में निर्धारित मजदूरी से कम का भुगतान नहीं करेंगे (कंपनी/सीआईएल के समय-समय पर नीतिगत निर्णय के अनुसार खनन कार्यकलापों के लिए बोली जमा करने के दौरान अधिसूचित और प्रचलित)।

टिप्पणी:

तथापि, यदि सीआईएल द्वारा निर्धारित श्रम की मजदूरी की मूल दर अनुबंध अवधि के दौरान संशोधित की जाती है, तो वृद्धिशील अंतर की प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर सीआईएल/सहायक कंपनी द्वारा तय किए गए उपयुक्त तंत्र के माध्यम से की जाएगी।

श्रमिकों को वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जाना चाहिए।

ठेकेदार/ठेकेदारों को सीएमपीएफ और संबद्ध स्कीमों और विविध प्रावधान अधिनियम 1948 या कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के प्रावधानों, जो भी मामला हो, के तहत प्रचलित कानूनों के अनुसार काम के लिए उनके द्वारा नियोजित कामगारों के लिए भविष्य निधि का आवश्यक भुगतान करना होगा। ठेकेदार नियमित रूप से ऐसी स्कीम के अनुसार अंशदान जमा करेगा। इस संबंध में कंपनी का कोई दायित्व नहीं होगा।

ठेकेदार ठेका कामगारों को उपचार की सुविधा की व्यवस्था करेगा तथापि, यदि कोई ठेकेदार चाहे तो, ठेका कामगारों को, उपचार की सुविधा, जैसा कि कंपनी के अस्पतालों/औषधालय में उपलब्ध है, प्रदान की जाएगी। कंपनी के अस्पताल/औषधालय में उपचार की सुविधा मुफ्त होगी, लेकिन उपलब्ध दवाओं, रोग संबंधी जांच एवं अन्य सर्जिकल उपचार की सीमा तक ही होगी ऐसी सुविधाएं कामगारों के पति/पत्नी अथवा आश्रितों पर लागू नहीं है।

ठेकेदार को उनके द्वारा तैनात कामगारों को उनके द्वारा विधिवत सत्यापित फोटो के साथ पहचान पत्र जारी करना चाहिए जिसे कर्मचारी काम के दौरान हमेशा अपने साथ रखेगा और जब भी आवश्यकता होगी निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा।

ठेकेदार खुद जानकारी लेगा और श्रमिक के लिए लागू स्थानीय प्राधिकरण / नगर पालिका / राज्य सरकार / केंद्र सरकार के सभी अधिनियमों / नियमों / विनियमों / उपनियमों और आदेशों के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करेगा। खान अधिनियम, मजदूरी का भुगतान अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, श्रमिक मुआवजा अधिनियम, श्रम कानून, बीमा आदि और उसके उचित पालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार और उत्तरदायी होंगा। इनके लिए कंपनी की कोई जिम्मेदारी/दायित्व नहीं होगा। ठेकेदार इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे/विवाद/संदर्भ अधिनिर्णय आदि के लिए कंपनी को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करेगा।

ठेकेदार अपने कर्मचारियों को सभी वेतन/मजदूरी/बकाया का समय पर भुगतान करेगा और अपने कर्मचारियों को कार्य पर लागू विभिन्न अधिनियमों/नियमों, विनियमों, आदेशों के अनुसार सभी लाभ प्रदान करेगा जैसे कोयला खान बोनस स्कीम के तहत बोनस और बोनस का भुगतान अधिनियम, रविवार की मजदूरी, ओवरटाइम, छुट्टी मजदूरी, अवकाश मजदूरी, बीमारी के समय छुट्टी आदि।

ठेकेदार अपने कर्मचारियों के लिए दो प्रतियों में मजदूरी पत्र तैयार करेगा, जिसकी एक प्रति परियोजना के प्रभारी अभियंता को नियमित रूप से प्रस्तुत की जाएगी।

अपने कर्मचारियों को सभी भुगतानों के संबंध में ठेकेदार की पूर्ण और समग्र जिम्मेदारी होगी। इस संबंध में कंपनी का कोई दायित्व नहीं होगा और किसी भी गैर-भुगतान / कम भुगतान / विवाद / अधिनिर्णय से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे के लिए ठेकेदार द्वारा पूर्णतया क्षतिपूर्ति की जाएगी।

यदि कोई दुर्घटना होती है या ठेकेदार के वाहनों/उपकरणों द्वारा कंपनी के किसी कर्मचारी को कोई चोट लगती है या ठेकेदार के प्रतिनिधि/कर्मचारियों की ओर से कोई चूक/कमीशन होता है, तो उसके लिए मुआवजा, जैसा कि कानून में प्रावधान या कंपनी द्वारा मूल्यांकित हो इस पर कंपनी द्वारा किए गए खर्च और लागत के साथ ठेकेदार से वसूल किया जाएगा।

xi. ठेकेदार को परियोजना परिसर से, परिवहन के दौरान और कोयला डंपों पर भी कोयले की चोरी को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी।

xii. सभी खातों को अंग्रेजी में रखा जाएगा और कंपनी को मजदूर के भुगतान के लिए आवश्यक समझे जाने वाले से संबंधित सभी खातों की पुस्तकों आदि तक पहुंच और निरीक्षण का अधिकार होगा और कंपनी अपने प्रतिनिधियों द्वारा मजदूर को किए गए भुगतान को देखने की व्यवस्था कर सकती है।.

xiii. **बीमा -** ठेकेदार किसी भी कारण से (उन कारणों को छोड़कर जो ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर हैं या नैसर्गिक कार्य, जैसे बाढ़, दंगा, युद्ध, भूकंप, आदि) कार्यों या उसके भाग को नुकसान या क्षति को रोकने के लिए सभी सावधानी बरतने की पूरी जिम्मेदारी लेगा और अपने खर्च पर मरम्मत और काम की नुकसान/क्षति की भरपाई करेगा ताकि पूरा होने पर, काम अच्छी स्थिति और परिस्थिति में हो और अनुबंध की आवश्यकताओं और इंजीनियर -प्रभारी, यदि कोई हो: के निर्देशों के अनुरूप हो।

अनुबंध-ख

कोल इंडिया लिमिटेड
(महारत्न कंपनी)
(भारत सरकार का उपक्रम)
"कोल भवन"
प्रेमाइज नं. 04,
एमएआर प्लाट नं. ए एफ-III
एक्शन एरिया-1ए, न्यू टाउन, राजारहट
कोलकाता-700156, पश्चिम बंगाल
www.coalindia.in

(An ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and ISO 50001:2011Certified Company)

क्रमांक : CIL/C--5B/JBCCI/JC/VDA/267 06.05.2022 " :

कार्यालय आदेश

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,	ईसीएल,	सैक्टोरिया
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,	बीसीसीएल,	धनबाद
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,	सीसीएल,	रांची
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,	डब्ल्यूसीएल,	नागपुर
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,	एसईसीएल,	बिलासपुर
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,	एनसीएल,	सिंगरौली
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,	एमसीएल,	संबलपुर
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,	सीएमपीडीआईएल,	रांची

विषय : संयुक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार 01.04.2022 से ठेकेदारों के कामगारों के लिए वीडीए की संशोधित दर

मुख्य श्रम आयुक्त (सी), श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने आदेश एफ संख्या: 1/4 (2)/2022-एलएस-द्वितीय दिनांक 31.03.2022 के तहत औद्योगिक श्रमिकों के लिए 31.12.2021 को समाप्त पूर्ववर्ती छह महीने की औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दर को सूचित किया जो 119.86 (2016 = 100) से 124.18 तक पहुंच गया।

तदनुसार, संयुक्त समिति की सिफारिशों के खंड (3) के अनुसार, प्रति दिन देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दरें 01.04.2022 (अर्थात 01.04.2022 से 30.09.2022 तक) निम्नानुसार होंगी: -

कर्मचारियों की श्रेणी	पूर्णांकित वीडीए (रु.)
अकुशल	198.00
अर्धकुशल/ अकुशल पर्यवेक्षी	205.00
कुशल	213,00
अत्यधिक कुशल	220.00

इस प्रकार, 01.04.2022 (अर्थात 01.04. 2022 से 30.09.2022 तक) से देय मूल दर और परिवर्तनीय महंगाई भत्ता को दर्शाने वाली मजदूरी की दर निम्नानुसार होगी' -

कर्मचारियों की श्रेणी	मजदूरी की मूल दर (रु.) प्रति दिन	वीडीए (रु.) प्रति दिन	वीडीए सहित मजदूरी की दर (रु.) प्रति दिन 01.04.2022 से
अकुशल	787.00	198,00	985.00
अर्द्ध कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	817.00	205.00	1022.00
कुशल	847.00	213.00	1060.00
अत्यधिक कुशल	877,00	220.00	097.00

कार्यालय आदेश संदर्भ सं.: सीआईएल/सी-5बी/जेबीसीसीआई/जेसी मजदूरी/995 दिनांक 09/10/2018 और संयुक्त समिति की दिनांक 04.09.2018 की सिफारिशों में उल्लिखित अन्य निबंधन और शर्तें यथावत रहेंगी।

इसे लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(अजय कुमार चौधरी)
महाप्रबंधक (एमपी और आईआर)

वितरण (ई-मेल द्वारा)

1. निदेशक (वित्त) / निदेशक (कार्मिक एवं आईआर) / निदेशक (तकनीकी/निदेशक (विपणन), सीआईएल, कोलकाता
2. निदेशक (कार्मिक) - ईसीएल/बीसीसीएल/सीसीएल/डब्ल्यूसीएल/एसईसीएल/एनसीएल/एमसीएल
3. निदेशक (वित्त)- ईसीएल/बीसीसीएल/सीसीएल/डब्न्यूसीएल/एसईसीएल/एनसीएल/एमसीएल
4. निदेशक (टी/सीआरडी), सीएमपीडीआईएल, रांची
5. मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीआईएल, कोलकाता।
6. ईडी (समन्वय}/ अध्यक्ष के टीएस, सीआईएल, कोलकाता
7. महाप्रबंधक एनईसी, असम
8. महाप्रबंधक (सीएमसी), सीआईएल, कोलकाता
9. महाप्रबंधक (वित्त/आईसी), सीआईएल, कोलकाता
10. महाप्रबंधक (प्रशासन), सीआईएल, कोलकाता
11. महाप्रबंधक (सिविल), सीआईएल, कोलकाता
12. सीआईएल की वेबसाइट पर ओ/सी' अपलोड करने के अनुरोध के साथ महाप्रबंधक (सिस्टम), सीआईएल